तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं. व तारीख आकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 74 / 2023 अंतर्गत धारा–76 एल.आर. एक्ट

(GCMS No. 2023/85)

श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री आशाराम पुत्र महलूराम जाति ब्राह्मण निवासी बंगोली नीचली, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, घड़साना, जिला श्रीगंगानगर।
2. राजेन्द्र मोहन पुत्र श्री आशाराम पुत्र महलूराम जाति ब्राह्मण निवासी बंगोली नीचली, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)।

3.4.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र मय मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट का देहांत दिनांक 23.03.2024 को हो गया है व वादगत भूमि उसके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी हैं। अतः उक्त पत्रावली का राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी के आधार पर निर्णय कर दाखिल दफ्तर करने का आदेश प्रदान करें।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज का अवलोकन किया। यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 16.06.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार अपीलांट का देहांत दिनांक 28.03.2024 को हो जाने के कारण इस न्यायालय में विचाराधीन इस अपील का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः अपील अपीलांट Abate हो जाने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं। आदेश सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे।

3.4

(डॉ. रवि कुमार सुरपुर)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर